न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन

वाद सं. 58/2014

उनवान

1. श्रवण पुत्र छोटू, जाति खटीक, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर। **वादी**

बनाम

1. रामनारायण पुत्र छोटू
2. शैतान पुत्र छोटू
   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
3. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय, चौमू, जिला–जयपुर
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील, चौमूं जिला–जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 07.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21.06.2016 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 07.12.2021 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। वादी स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुउपस्थित है। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार तहसील चौमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 07.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादीत भूमि आराजी ख0न0 1833 रकवा 0.22 है0, ख0न0 1834 रकबा 0.40 है0 कुल किता–2 का कुल रकबा 0.62 है0 भूमि वाके ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रामनारायण पुत्र छोटू हिस्सा 1/3 श्रवण पुत्र छोटू हिस्सा 1/3 सुवा पुत्र छोटू हिस्सा 1/3 कौम खटीक सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1833 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1834/2 रकबा 0.2450 हैक्टर किस्म बारानी 1 कुल किता 02 का कुल रकबा 0.4650 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. सुरेश कुमार पुत्र परसाराम कौम खटीक सा[illegible]र को खसरा नम्बर 1834/1 रकबा 0.1550 है0 किस्म बा[illegible] 1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1550 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में काले [illegible] जाती है।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का [illegible] रहेगा। डिक्री की प्रति[illegible]र्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:57:22 IST
Reason: SelfAttested

राहुल जैन
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास राहुल जैन आईएएस

1. श्रवण पुत्र छोटू, जाति खटीक, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

वनाम

1. रामनारायण पुत्र छोटू
2. शैतान पुत्र छोटू
   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
3. श्रीमान् उप–पंजीयक महोदय, चौमू, जिला–जयपुर
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील, चौमूं जिला–जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 58/2014

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. रामनारायण पुत्र छोटू हिस्सा 1/3 श्रवण पुत्र छोटू हिस्सा 1/3 सुवा पुत्र छोटू हिस्सा 1/3 कौम खटीक सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1833 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1834/2 रकबा 0.2450 हैक्टर किस्म बारानी 1 कुल किता 02 का कुल रकबा 0.4650 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. सुरेश कुमार पुत्र परसाराम कौम खटीक सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 1834/1 रकबा 0.1550 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.1550 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.12.2021 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत

ओहदा.........

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फीस कमिश्नर			[illegible]		
बाबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफरिक			[illegible]		
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:57:22 IST
Reason: SelfAttested